⑥ 2024/72

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी

चारभुजा नाथ जरिये तहसीलदार बनाम बगडीराम वगैरा

किस्म मुकद्दमा पत्थरगढी 128 एल.आर.एक्ट प्रकरण नं. 40/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/24	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट का चारभुजाजी स्थान देह जरिये पुजारी मोहनदास पिता प्रभुदास, भरतदास पिता मांगूदास के द्वारा पेश किया गया चुकि इनके द्वारा पेश प्रा. पत्र में इनके नाम का कोई दस्तावेज पेश नही होने से न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) स्वमोटो के माफी, मंदिर, डोली, आदि की भूमियों का सरंक्षण तहसीलदार को होने से उक्त प्रार्थना पत्र जरिये भुमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी के मार्फत प्रार्थना पत्र पेश हुआ माना जाकर, जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया जावें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। एक पक्षीय बहस सूनी गई। प्रकरणग्रस्त आराजी चारभुजाजी स्थान देह पारसोली के नाम पर होने से तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जयसिहपुरा की आराजी नम्बर 210 रकबा 0.99 हैक्टर भुमि की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावें। कब्जे में किसी भी प्रकार की छेडछाड नही की जावें। यह आदेश केवल पत्थरगढी के लिए है किसी भी प्रकार का कब्जा सुपूर्द नही किया जाएं। पत्रावली में इसी आशय का हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.05.31 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested